न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा
वाद सं० 9/19-20
धारा - 38(2) अधि०उ०प्र०
राजस्व संहिता 2006
मौजा - सुनरख बांगर
वाधवा कन्स्ट्रक्शन पार्टनर विजय वासुदेव
वाधवा बनाम सरकार

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :सदर
वाद सख्या :-02929/2019
कंप्यटरीकृत वाद सख्या :-T201901500102929
वाधवा कन्सट्रक्सन पार्टनर विजय वासदेव वाधवा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 38(2), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

वाधवा कन्सट्रक्शन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा पुत्र वासुदेव वाधवा निवासी 425ए वासु कमल, 14 रोड बान्द्रा वोम्बे द्वारा दिनांक 28.9.2019 को प्रार्थना–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा सुनरख बांगर तहसील व जिला मथुरा का काश्तकार है वर्तमान में खाता संख्या 476 में प्रार्थी का नाम व खसरा नम्बर 401 मि0 के स्थान पर 191मि. व खसरा सख्या 517 के रकवा 0.992 के स्थान पर रकवा 0.760हे को पूर्व की खतौनी 1416 से 1421 के अनुसार सही न बाताकर गलत बना दिया है। खसरा नम्बरान के आगे रकवा जो लिखा गया है वह गलत है। प्रार्थी के वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 477 में दो खसरा 518 व 505 खसरा नम्बर प्रार्थी के अन्य खाता संख्या 476 में दर्ज है, जिसका शुद्ध होना आवश्यक है। प्रार्थी के मौजा सुनरख बांगर के वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 476 पर दर्ज नाम बाधक कन्सट्क्शन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा पुत्र श्री वासुदेव वाधवा व खसरा सख्या 517 का रकवा 0.760 के स्थान पर 0.882हे. व खसरा संख्या 541मि. 520/2, 518मि., 491मि., 491मि. 504मि0 505मि0 के आगे रकवा को सही किया जावे व खाता संख्या 477 में खसरा संख्या 518 व 5054 को हटाया जावे, जिससे कि प्रार्थी की खतौनी पूर्व खतौनी 1416 से 1421 के अनुसार सही हो सके।

तहसीलदार, मथुरा द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर जॉचकर आख्या दिनांक–17.10.2019 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सुनरखबांगर की खतौनी सन 1410–1415 फसली के खाता संख्या 476 खसरा संख्या 490/0.793, 517/0.882, 520/1.850हे. पर प्रार्थी वाधवा कन्सट्क्शन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा का नाम अंकित है तथा खतोनी 1416–1421फसली में उप जिलाधिकारी द्वारा धारा 161 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत नाली व चकरोड के खसरा संख्या 518मि./0.102, 491मि./0.013, 504मि/0.038, 505मि./0.020हे.प्रार्थी को दिय गये हैं एवं प्रार्थी के खसरा संख्या 511मि./0.122, 490/2मि./0.091ग्राम सभा को दिये गये है। नयी खतौनी बनाते समय खसरा संख्या 517/0.882, 491/0.013 के स्थान पर खसरा संख्या 517/0.760, 191मि0 0.013 अंकित कर दिया गया है तथा खसरा संख्या 418मि./0.102 व खसरा संख्या 505मि0/0.020हे. खातेंदार के खाता संख्या 476 व 477 पर दो बार अंकित कर दिया गया है जिसे शुद्ध किया जाना है। अतः ग्राम सुनरख बांगर के खाता संख्या 476 खसरा 517/0.760 191मि./0.013, 518/0.102 वाधक कन्सट्क्शन पार्टन विजय वासुदेव पुत्र सुखदेव वासुदेव अशुद्ध प्रविष्टि के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि 517/0.882हे., 491/0.013हे. वाधवा कन्स्ट्क्सन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा पुत्र वासुदेव वाधवा अंकित करने एवं खाता संख्या 476 व 477 पर दो बार अंकित होने के कारण खाता संख्या 477 से खसरा संख्या 418मि/0.102 व 505मि./0.020 निरस्त करने हेतु आख्या सम्प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त त्रुटि खतौनी 1410–1415 फसली से 1416–1421 फसली खतौनी बनाते समय हुई है जो लिपिकीय श्रेणी के अन्तर्गत आती है, जिन्हें उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 38 के अन्तर्गत प्राविधान के अनुसार दुरुस्त किया जा

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आगरा,जनपद :मथुरा,तहसील :सदर
वाद संख्या :-02929/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201901500102929
वाधवा कन्सट्रक्सन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 38(2), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सकता है। अतः तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक– 17.10.2019 से सहमत होते हुए मौजा सुनरख बांगर की खतौनी के खाता संख्या 476 खसरा 517/0.760 191मि./0.013, 518/0.102 वाधक कन्सट्क्शन पार्टन विजय वासुदेव पुत्र सुखदेव वासुदेव अशुद्ध प्रविष्टि के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि 517/0.882हे., 491/0.013हे. वाधवा कन्स्ट्क्सन पार्टनर विजय वासुदेव वाधवा पुत्र वासुदेव वाधवा अंकित हो। खाता संख्या 476 व 477 पर दो बार अंकित होने के कारण खाता संख्या 477 से खसरा संख्या 418मि/0.102 व 505मि./0.020 निरस्त हो। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(कान्ति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

निरस्त

निरस्त

निरस्त

Scanned by CamScanner